

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना
सं० ९६/2020- सीमा शुल्क (गै.टे.)


नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर, 2020

का.आ. (अ).-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (2) में संदर्भित कारण बताओ नोटिसों में न्याय निर्णयन करने के उद्देश्य से, इसी सारणी के कॉलम (1) में उल्लिखित नोटिसी के मामले में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में संदर्भित अधिकारियों को दिये गए या सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करता है, अर्थात् :-

सारणी

| नोटिसियों का नाम एवं पता | कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक | न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम | नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी |
|---|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| मै से एस्पिरिट ओवरसीज, 661, फ़र्स्ट फ्लोर, गांधी कटरा, चाँदनी चौक, नई दिल्ली-110006 | डिमांड कम कारण बताओ नोटिस 30/ADC/PBA-3/2020 दिनांक 24.08.2020, C.No. VIII/Cus-Audit/OSPCA/EO/APR No. 09/61/2019/973 दिनांक 25.08.2020 के अंतर्गत जारी | (i) अपर/ संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क, आईसीडी पटपड़गंज, नई दिल्ली | अपर/ संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क, आईसीडी-पटपड़गंज, नई दिल्ली |
| | | (ii) उप/ सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, आईसीडी तुगलकाबाद, नई दिल्ली | |

[फा° स° 437/1/2020- सीमाशुल्क IV]


(आनंद राधाकृष्णन)
उप सचिव (सीमाशुल्क)